

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:-

GCMS NO:- **2025/810**

—: आदेश —:

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी **सेला** व भू.अ.नि. **पाहू** की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिवाना/ **समन्दी** की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा **आधार कार्ड**, **जन आधार, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,** पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार सिवाना/ **समन्दी** की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार सिवाना/ **समन्दी** को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	सेला हेमावास	137, 152, 254, 255 152, 167, 195, 196, -27.	सेल सिंह पुत्र मान सिंह	शेतान सिंह उर्फ सेल सिंह पुत्र मान सिंह

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक- /राजस्व/ ग्रा.से.शिविर/ 2025/ **82**

दिनांक:- **25.10.2025**

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार सिवाना/ **समन्दी** को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी/प्रार्थीगण **शेतान सिंह पुत्र मान सिंह जाति राजपूत निवासी-हेमावास** तहसील सिवाना/ **समन्दी** जिला बालोतरा
3. रक्षित पत्रावाली।



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

